उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 18.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"अग्निशमन सेवा सप्ताह" (14 अप्रैल से 20 अप्रैल) के तहत अग्निशमन टीम द्वारा चलाया जा रहा है जागरुकता अभियान, मॉकड्रिल करते हुए अग्निशमन यंत्रों को चलाने व आग से बचाव की दी जा रही है व्यापक जानकारी...।

ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत आग से सम्बन्धित होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपदवासियों को अग्निसुरक्षा के प्रति जागरुकता प्रदान किये जाने व जनपद में अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह (14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक) के तहत आज दिनांक 18.04.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा "अग्निशमन सुरक्षा सेवा सप्ताह" के तहत जनपद महोबा के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित मैरिज़ हॉल, होटल इत्यादि स्थानों में जाकर वहाँ मौजूद होटल संचालकों एवं स्थानीय लोगो एवं श्रमिक वर्ग को अग्निसुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं आग से बचाव हेतु मॉकड्रिल का आयोजन कर आग पर काबू पाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया व अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित पम्पलेट वितरित किए गए ।

इस प्रकार अग्निशमन टीम द्वारा किये जा रहे अग्निसुरक्षा के विभिन्न प्रयासों से निश्चित रुप से क्षेत्र में अग्नि से होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यापक स्तर पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 18.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता,पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 18.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद महोबा में कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के नेतृत्व/निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कार्य सुनिश्चित कराने के निमित्त व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल की सभा के दौरान व अन्य किसी माध्यम से अत्याधिक प्रचार/खर्च, नकद या घूस के रूप में वस्तुओं का वितरण, अवैध शस्त्रों, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है जो जनपद महोबा चिन्हित महत्वपूर्ण स्थलों में लगातार भ्रमणशील हैं जिनके द्वारा जनपद में आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों पर सतत निगरानी/वीडियोग्राफी कराते हुए सघन चेकिंग की जा रही है।

उडनदस्ता टीम की सक्रियता से सघन चेकिंग के दौरान कुल 01 लाख 900 रुपये की बरामदगी करते हुए नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही गयी है। उडनदस्ता टीम की इस महत्वपूर्ण कार्यवाही से परिलक्षित है कि चुनाव के दौरान जनपद महोबा पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों/ए.टी.एम. व अन्य वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति आज दिनांक 18.04.2024 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करें व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा करें। जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, पेट्रोल पम्पों व अन्य वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया, इस दौरान बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

जनपदीय एसओजी व थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने

25,000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में शांति एंव कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/ पुरूस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौंड के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 17.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री अर्जुन सिंह थाना श्रीनगर जनपद महोबा के नेतृत्व में वांछित /वारण्टी की तलाश चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मौके पर आये प्रभारी स्वाट/सर्विलांश सेल उ0नि0 रविकुमार मय स्वाट टीम महोबा द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 257/2023 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त फरीद मोहम्मद पुत्र शफ्फू उर्फ मो0 शरीफ उम्र करीब 41 वर्ष को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ई-रिक्शा चार्जिंग प्वाईंट तथा यात्री प्रतिक्षालय के सामने से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। ध्यातव्य रहे कि उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25 हजार रूपये का पुरूस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से एक बण्डल मे 2.700 कि0ग्रा0 सूखा गाँजा नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 85/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

फरीद मोहम्मद पुत्र शफ्फू उर्फ मो0 शरीफ उम्र करीब 41 वर्ष नि0 बाघू हजरत शेखचाँद बाबा के पास वार्ड नं. 18 मु.सिजवईहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर हाल पता कैलास नगर तालाब पार वार्ड नं. 11 ग्राम कुम्हारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ

स्वाट/सर्विलांश टीम-

1.प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 रविकुमार 2. उ0नि0 विवेक यादव 3. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह सर्विलांश सेल
4. का0 निर्भय यादव 5. का0 रंजीत सिंह स्वाट टीम महोबा

गिरफ्तार करने वाली स्थानीय पुलिस टीम-

1. अर्जुन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर
2. व0उ0नि0 कन्हैयालाल
3. का0 अजय सोनकर

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में शांति एंव कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/ पुरूस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.04.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मामना के पास से 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.ईश्वरदास पुत्र लीलाधर उम्र 81 वर्ष 2.धन्नू पुत्र अमरचन्द्र उम्र 80 वर्ष निवासीगण ग्राम मामना थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0- 05/2017 मु0अ0सं0- 154/2008 धारा 446 सीआरपीसी सम्बन्धित माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 (एफ0टी0सी0) महोबा द्वारा निर्गत वारण्टी के क्रम में 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगणों को ग्राम मामना महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरणः-

1. ईश्वरदास पुत्र लीलाधर उम्र 81 वर्ष
2. धन्नू पुत्र अमरचन्द्र उम्र 80 वर्ष

निवासीगण ग्राम मामना थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 सत्यपाल सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 प्रवीण कुमार यादव